न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू0 अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 472/2018
GCMS NO. : 2018/00365

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. दुर्गाराम पुत्र दयालराम 2. नेमाराम पुत्र दयालराम 3. सुगनाराम पुत्र दयालराम 4. रूकमादेवी पत्नी दयालराम 5. तिजीदेवी पत्नी गेपरराम 6. प्रेमचन्द पुत्र दयालराम जातियान– माली, निवासीगण– बलाड़ा, तहसील– जैतारण, जिला ब्यावर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर(राज.) 2. समुदेवी पत्नी अमराराम जाति माली निवासी– बेरा नवोड़ा, बलाड़ा, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर(राज.) 3. रामकन्या पत्नी भगवानराम जति– माली, निवासी– बेरा नवोड़ा, बलाड़ा, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर(राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एवं 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 24/12/2028

उपस्थितः– 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 23/05/2024**

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा बलाड़ा, पटवार हल्का बलाड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 1076 रकबा 06–07 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि स्थित है। उक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थीगण संख्या एक से पांच रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण के अलावा किसी अन्य कोई हक अधिकार व कब्जा काश्त नहीं है। उक्त खसरान की चालु जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2073–2076 मय नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है। सरहद मौजा बलाड़ा पटवार हल्का बलाड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 555 रकबा 28–01 बीघा किस्म गै0मु0 भूमि स्थित है उक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. दो व तीन रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है उक्त खसरे की चालू जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2073–2076 मय नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. दो व तीन हिस्सानुसार काबिज है तथा सम्पूर्ण भूमि मौके पर एक चक है जिसका आज दिन तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकास्मा नहीं हो रखा है। उक्त खसरान की भूमि के पास ही पड़त भूमि आई हुई

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

जिस पर भू-माफिया एवं आस-पास के भूमि के लोग जबरदस्ती व गैरकानूनी रुप से प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर अतिचार करने पर आमादा है इस पर प्रार्थीगण ने दिनाँक 5/11/2018 को एक लिखित आवेदन अप्रार्थी संख्या एक को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1076 रकबा 6-07 बीघा एवं खसरा नम्बर 555 रकबा 28-01 बीघा भूमि सरहद मौजा ग्राम बलाड़ा में स्थित है जिस पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है मगर भूमि तरमीम व सीमांकन नहीं होने की सूरत में हमारी खातेदारी भूमि पर आस-पास के भूमि खातेदार एवं भू-माफिया जबरदस्ती अतिचार करने रहे है। इसलिए नियमानुसार कार्यवाही कर हमारी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि की पैमाईश (सीमांकन) किया जाकर पत्थर गढ़्ढी कर नेखमबन्द की जावे। उक्त लिखित प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. एक तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बाद भी आज दिन तक कोई सुनवाई एवं कार्यवाही नहीं हुई, ना ही अप्रार्थी ने कोई सन्तोषजनक जवाब दिया। यदि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर अवैध एवं गैरकानूनी रुप से अतिचार कर कृषि भूमि हड़प कर ली तो प्रार्थीगण को अपने जायज कानून हक हकुकों से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1076 व खसरा नम्बर 555 का पैमाईश/तरमीम विधिवत् रुप से करवाने का पूरा कानूनी अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या एक राजस्थान सरकार के राजस्व रेकर्ड, जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश का सैटेलाईट के माध्यम से पैमाईश कर डिजिटिकरण (DIGITALIZATION) का कार्य सैट्लमेंट विभाग द्वारा किया जा रहा है इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जें काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1076 एवं खसरा नम्बर 555 की भूमि की पैमाईश सेट्लमेंट ऑफिसर सेट्लमेंट विभाग जोधपुर को कमिश्नर मुकर्रर कर मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवायी जावे, व राजस्थान सरकार सेट्लमेंट विभाग के नियमों के तहत राज्य सरकार के बन्दोबस्त विभाग द्वारा सैटेलाईट के माध्यम से मौका स्थिति की सही रिपोर्ट पर देय कानूनी फीस/राशि प्रार्थीगण नियमानुसार अदा करने को तैयार है। बाद कमिश्नर रिपोर्ट के भूमि की मौके पर पत्थर गढ़्ढी कर नेखमबन्दी की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार जैतारण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो शा.मि. है।

अप्रार्थी संख्या 02 व 03 मय अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर कथन किया कि सहरद मौजा बलाड़ा में खसरा नम्बर 1076 रकबा 6-07 बीघा भूमि के खातेदार प्रार्थीगण है। सरहद मौजा बलाड़ा में स्थित खसरा नम्बर 555 रकबा 28-01 बीघा गै.मु. भूमि स्थित है उक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा अन्य हिस्सा अन्य खातेदारान का है। नजरी नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 556 के पूर्वी ओर हरे रंग के भू-भाग पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 काबिज होकर काश्त करते हैं। खसरा नम्बर 555 रकबा 28-01 बीघा के 1/4 हिस्से पर अर्थात् 7 बीघा पर नजरी नक्शे में बतायेनुसार काबिज होकर पिछले 20 वर्षो से काश्त करते है व खसरा

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

म्बर 555 रकबा 28-01 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की सामलाती खातेदारी में अवश्य है परन्तु मौके पर बंटवाड़ा होकर खेतों के बीच माठ भी कायम है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि बाबत् बंटवाड़ा हेतु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने कभी-भी इन्कार नही किया। उक्त खसरा नम्बर 555 रकबा 28-01 बीघा की पूर्व में खसरा नम्बर 545 की पड़त भूमि राज्य सरकार की है। प्रार्थीगण की भूमि पर उत्तरदाता अप्रार्थीगण ने कभी-भी अतिचार के प्रयास न तो किया व न मंशा रखते है। प्रार्थीगण की भूमि पर कोन अतिचार कर कब्जा करना चाहता है व दिनांक 05.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 को आवेदन प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में तरमीम सीमांकन बाबत् देने की जानकारी उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि पर किसी व कौन भू-माफिया जबरदस्ती अतिक्रमण कर रहे है जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर उत्तरदाता अप्रार्थीगण ने न तो कोई अतिक्रमण किया हैं, न ही भूमि हड़प की है तो फिर प्रार्थीगण के कोई हक अधिकार प्रभावित होने के कथन व असीम हानि होने के कथन पूर्णतय गलत व झूठे, मनमाने है। यदि प्रार्थीगण के कोई हक अधिकार प्रभावित हो रहे है तो अधिकारों बाबत् धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद करने का विकल्प है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण व उतरदाता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेंनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते है व खेतों के बीच माठे कायम है तो फिर सेट्लमेंट विभाग जोधपुर से गठित रेवेन्यू टीम से नाप चोप कर पेमाईश व पत्थरगढ़ी करने का कोई ओचित्य नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश व राजस्व रेकर्ड तथा नजरी नक्शा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

तहसीलदार,जैतारण ने अपना जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बलाडा की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के अनुसार खसरा संख्या 555 तथा 1076 वादीगण एवं प्रतिवादी 2 व 3 के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। सेट्लमेन्ट विभाग से सीमाज्ञान कराया जाना श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय का क्षेत्राधिकार है। अतः निवेदन है कि वादीगण ने अपने खसरों के पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है तथा सेट्लमेन्ट से सीमाज्ञान कराया जाना श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय का क्षेत्राधिकार है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात, अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुन कर उस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

1. प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रा0पत्र में कथन किया कि सरहद मौजा बलाड़ा, पटवार हल्का बलाड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास, तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 1076 रकबा 06-07 बीघा किस्म बारानी

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

दोयम भूमि स्थित है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 555 रकबा 28-01 बीघा किस्म गै0मु0 भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. दो व तीन रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। सम्पूर्ण भूमि मौके पर एक चक है जिसका आज दिन तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकास्मा नहीं हो रखा है। उक्त खसरान की भूमि के पास ही पड़त भूमि आई हुई है जिस पर भू-माफिया एवं आस-पास के भूमि के लोग जबरदस्ती व गैरकानूनी रुप से प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर अतिचार करने पर आमादा है।

2. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने अपने जवाब प्रा0पत्र में कथन किया खसरा नम्बर 555 रकबा 28-01 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की सामलाती खातेदारी में अवश्य है, परन्तु मौके पर बंटवाड़ा होकर खेतों के बीच माठ भी कायम है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि बाबत् बंटवाड़ा हेतु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने कभी-भी इन्कार नही किया। उक्त खसरा नम्बर 555 रकबा 28-01 बीघा की पूर्व में खसरा नम्बर 545 की पड़त भूमि राज्य सरकार की है। प्रार्थीगण की भूमि पर उत्तरदाता अप्रार्थीगण ने कभी-भी अतिचार के प्रयास न तो किया व न मंशा रखते है।

3. तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब प्रा0पत्र में कथन किया कि ग्राम बलाडा की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के अनुसार खसरा संख्या 555 तथा 1076 वादीगण एवं प्रतिवादी 2 व 3 के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। वादीगण ने अपने खसरों के पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के अनुरुप नहीं है तथा सेटलमेन्ट से सीमाज्ञान कराया जाना श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय का क्षेत्राधिकार है।

4. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के जवाब प्रा0पत्र में अंकित कथनों से स्पष्ट है कि मौके पर माठ कायम है एवं खातेदरान के मध्य बंटवाडा नहीं हो रखा है साथ ही खसरा संख्या 555 के पास ही प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1076 स्थित है। इससे स्पष्ट है कि खातेदारान् के मध्य खसरा विशेष की वास्तविक सीमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादों का समाधान मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न अधिरोपित करवाते हुए करवाया जा सकता है, ताकि काश्तकारों के मध्य अनावश्यक विवाद एवं जटिलता उत्पन्न न हो।

अतः हम हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1076, 555 एवं इससे लगती अन्य आराजी खसरा नम्बर 556, 545, 1075, 1077, 1074, 554/1 के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है। इसके कारण भू अभिलेख में दर्ज अभिलेखीय त्रुटि की शुद्धि के लिये वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खसरा संख्या 1076, 555, 556, 545, 1075, 1077, 1074, 554/1 भू अभिलेख में शुद्धि किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक समझते है, साथ ही शुद्धि उपरांत खसरा संख्या 1076, 555 भूमि की तरमीम भू-राजस्व अधिनियम

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत भू-नक्शा में तरमीम किया जाना आवश्यक एवं विधि संगत है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व सरहद मौजा बलाड़ा, पटवार हल्का बलाड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास, तहसील जैतारण में स्थित प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1076 रकबा 06-07 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 555 रकबा 28-01 बीघा किस्म गै0मु0 तथा अन्य चिपते हुए खसरा के मध्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया की अनुपालन करते हुए मौके पर नाप-चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें। प्रार्थीगण के हर्जे-खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक अधिरोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। यदि मौके पर खातेदारान के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जाये। साथ ही शुद्धि उपरांत खसरा संख्या 1076, 555 भूमि की तरमीम भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्डस) नियम 1957 के नियम 60, 62, 66, 67, 187, 354, के अर्न्तगत भू-नक्शा में तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 23/05/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)